GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF JAL SHAKTI

DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION

RAJYA SABHA

STARRED QUESTION NO. *108

ANSWERED ON 10.03.2025

PERMANENT SOLUTION FOR ARSENIC CONTAMINATION IN GROUNDWATER

*108. SHRI NEERAJ SHEKHAR

Will the Minister of **JAL SHAKTI** be pleased to state:

(a) whether Government proposes to set up Research and Development under the Ministry for eradication/permanent solution of Arsenic contamination in groundwater;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(c) the details of funds allocated for eradication of Arsenic contamination in groundwater for the Financial Year 2025-26; and

(d) the details of projects to be undertaken out of budgetary allocation in Union Budget 2025-26?

ANSWER

THE MINISTER OF JAL SHAKTI

(SHRI C R PAATIL)

(a) to (d) : A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (d) OF STARRED QUESTION NO. *108 TO BE ANSWERED ON 10.03.2025 IN RAJYA SABHA REGARDING "PERMANENT SOLUTION FOR ARSENIC CONTAMINATION IN GROUNDWATER"

(a) & (b) Arsenic contamination of ground water is known to be mainly Geo-genic in nature, that is, the contamination occurs through leaching of Arsenic bearing compounds into ground water through rock and soil matrix under conducive conditions. The best long-term remedy for the problem is considered to be regular quality testing to identify contaminated sources, tapping Arsenic safe aquifers and switching over to alternative sources for drinking, especially surface water sources etc.

The Union government has taken several important initiatives for mitigation of Arsenic contamination in ground/drinking water, including conducting/funding research activities. Some of the notable measures are mentioned below:

- The Central Ground Water Board (CGWB) monitors the ground water quality for the whole country on a regular basis through its network of monitoring wells. The ground water quality data so generated, including that for Arsenic contamination, is regularly disseminated through Annual Reports, Half-yearly Bulletins and Fortnightly Alerts for quick action by the stakeholders.
- Additionally, under the National Aquifer Mapping Programme (NAQUIM) of CGWB, while taking up aquifer studies, special attention is being given to the aspect of ground water quality including contamination by toxic substances such as Arsenic in ground water.
- Dr. Syama Prasad Mookerjee –National Institute for Water & Sanitation (SPM-NIWAS) has been set up at Kolkata, West Bengal (formerly, NCDWSQ) with the aim, *inter alia,* to work in the area of identification, mitigation and management of drinking water quality related problems in India, by focusing on research for improving upon the existing knowledge and evaluating emerging technologies for combating various contaminants including Arsenic.
- CGWB has developed the innovative cement sealing technology through in-house research in which wells are constructed for tapping safer and Arsenic free aquifers lying at greater depths and sealing off contamination from above layers. CGWB has successfully constructed Arsenic free wells in arsenic affected areas in the states of U.P., Bihar and West Bengal using this innovative technology and is also providing technical assistance to state departments for taking up similar constructions.
- Jal Jeevan Mission (JJM) – Har Ghar Jal, being implemented by this Ministry in partnership with states, marks an important milestone for providing contamination free potable tap water to every rural household of the country in adequate quantity, of prescribed quality and on regular & long-term basis .Following measures have been taken under JJM to facilitate action on water quality aspects at state level:-

i. While allocating the funds to States/ UTs, 10% weightage is given to the population residing in habitations affected by chemical contaminants.
ii. To facilitate implementation of the Scheme, more than 2000 water quality testing laboratories have been set up in the country and an online JJM – Water Quality Management Information System (WQMIS) portal has been developed Besides this, five persons, preferably women are identified and trained from every village for testing the water samples through Field Test Kits (FTKs).
iii. Under JJM, while planning for potable water supply to household through tap water connection, priority is given to quality-affected habitations. Further, with a view to provide immediate solution, States/ UTs have been advised to install community water purification plants (CWPPs) especially in Arsenic and Fluoride affected habitations to provide potable water to every household as an interim measure.

As a result of cumulative efforts under JJM, it is reported that from August 2019 to February 2025 the number of Arsenic affected habitations in the country have declined from 14,020 to 314. These remaining habitations have also been provided clean & safe drinking water through Community Water Purifier Plants (CWPPs).

In view of the above, no need is felt to set up any exclusive Research & Development facility for Arsenic mitigation.

(c) & (d) The government's efforts towards handling ground water quality issues are mainly channeled through the Jal Jeevan Mission. Although, funds are not separately allocated for dealing with Arsenic mitigation under JJM, states with more population residing in areas affected by chemical contamination are allocated additional funds as 10% weightage is given to such areas. As per the available information, an amount of Rs. 67,000 Cr has been allocated for JJM for the year 2025-26. Out of this amount, up to 2% can be utilized by the states for Water Quality Monitoring & Surveillance. Further, it is for the state governments to devise and execute suitable projects from the allocated amount based on local requirements.

*****

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *108

जिसका उत्तर 10 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

भूजल में आर्सेनिक संदूषण का स्थायी समाधान

*108. श्री नीरज शेखरः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भूजल में आर्सेनिक संदूषण को समाप्त करने/इसके स्थायी समाधान के लिए मंत्रालय के अधीन अनुसंधान एवं विकास सुविधा स्थापित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भूजल में आर्सेनिक संदूषण को समाप्त करने हेतु आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए बजटीय आवंटन से आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटील

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'भूजल में आर्सेनिक संदूषण का स्थायी समाधान' के संबंध में दिनांक 10.03.2025 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *108 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): भूजल में आर्सेनिक संदूषण मुख्य रूप से भू-जनित प्रकृति का माना जाता है, अर्थात, संदूषण अनुकूल परिस्थितियों में आर्सेनिक युक्त यौगिकों के चट्टानों और मिट्टी के मैट्रिक्स के माध्यम से उसका भूजल में रिसाव होने के कारण। इस समस्या के सबसे अच्छे दीर्घकालिक उपायों में, संदूषित स्रोतों की पहचान करने के लिए, जल गुणवत्ता का नियमित परीक्षण किया जाना और आर्सेनिक सुरक्षित जलाशयों की टैपिंग करते हुए पेयजल के वैकल्पिक स्रोतों, विशेष रूप से सतही जल स्रोतों, का उपयोग किया जाना है।

केंद्र सरकार ने भूजल/पेयजल में आर्सेनिक संदूषकों का उपशमन करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की है जिसमें अनुसंधान कार्यकलापों का संचालन/निधियन का कार्य भी शामिल है। कुछ उल्लेखनीय उपाय निम्नवत रूप से हैं:

- केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) अपने मॉनिटरिंग कुओं के नेटवर्क के माध्यम से देश भर में नियमित आधार पर भूजल गुणवत्ता की निगरानी करता है। इस प्रकार, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा सृजित भूजल गुणवत्ता आंकड़ों में आर्सेनिक संदूषण भी शामिल होता है जिन्हें नियमित आधार पर वार्षिक रिपोर्ट, अर्ध-वार्षिक बुलेटिन और तिमाही अलर्ट के माध्यम से प्रसारित किया जाता है ताकि हितधारकों द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा सके।

- इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के राष्ट्रीय जलाशय मानचित्रण कार्यक्रम के तहत, जलाशय अध्ययन के समय, भूजल गुणवत्ता के पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिसमें भूजल में आर्सेनिक जैसे विषैले पदार्थों द्वारा होने वाला संदूषण शामिल है।

- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी – राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान (पूर्व में, एनसीडीडब्ल्यूएसक्यू) कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ साथ भारत में पेयजल गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं की पहचान, उसके उपशमन और प्रबंधन के क्षेत्र में काम करना है, जिसमें नोलिज-बेस में सुधार के साथ अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करते हुए और आर्सेनिक सहित विभिन्न संदूषणों से निपटने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन करने का कार्य शामिल है।

- केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने इन-हाउस अनुसंधान के माध्यम से एक अभिनव सीमेंट सीलिंग तकनीक विकसित की है, जिसमें गहरे स्तर पर स्थित सुरक्षित और आर्सेनिक मुक्त जलाशयों को टैप करने के लिए गहरे कुएं बनाए जाते हैं और ऊपर की परतों में संदूषण

को सील किया जाता है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने इस अभिनव तकनीक का उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में सफलतापूर्वक आर्सेनिक मुक्त कुएं बनाए हैं और वह ऐसे विनिर्माण कार्यों के लिए राज्य विभागों को तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है।

- इस मंत्रालय द्वारा राज्यों की साझेदारी में कार्यान्वित जल जीवन मिशन– हर घर जल, के अंतर्गत, देश के हर ग्रामीण घर को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता में और नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर संदूषण मुक्त पीने योग्य नल का पानी प्रदान करना एक महत्वपूर्ण पहल है। राज्य स्तर पर जल गुणवत्ता के पहलुओं पर कार्रवाई के लिए जल जीवन मिशन के तहत निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

i. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धन आवंटित करते समय, रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बस्तियों में निवास करने वाली जनसंख्या को 10% वरीयता (वेटेज) प्रदान किया जाता है।

ii. इस योजना के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए, देश में 2000 से अधिक जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं और एक ऑनलाइन जल जीवन मिशन - जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल विकसित किया गया है। इसके अलावा, प्रत्येक गांव से पांच व्यक्तियों, अधिमानतःमहिलाओं को चुना जाता है और उन्हें फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से जल नमूनों का परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

iii. जल जीवन मिशन के तहत, नल के पानी के कनेक्शन के माध्यम से घरों में पीने के पानी की आपूर्ति की योजना बनाते समय, जल गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, इस समस्या के तत्काल हल के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक अंतरिम उपाय के रूप में विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित बस्तियों में सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित करने की सलाह दी गई है ताकि हर घर को पीने का पानी प्रदान किया जा सके।

जल जीवन मिशन के तहत किए गए संगठित प्रयासों के परिणामस्वरूप, यह सूचित किया जाता है कि अगस्त 2019 से फरवरी 2025 के बीच देश में आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की संख्या 14,020 से घटकर 314 हो गई है। ऐसी शेष रह गई बस्तियों को भी सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों के माध्यम से स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल प्रदान किया गया है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आर्सेनिक उपशमन के लिए कोई विशेष अनुसंधान और विकास सुविधा स्थापित किए जाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई है।

(ग) और (घ): सरकार द्वारा भूजल गुणवत्ता मामलों के समाधान के प्रयास मुख्य रूप से जल जीवन मिशन के माध्यम से किए जाते हैं। हालांकि, जल जीवन मिशन के तहत आर्सेनिक उपशमन के लिए अलग से निधि आवंटित नहीं की जाती है। ऐसे रासायनिक संदूषण वाले राज्यों में जहां अधिक आबादी रहती है, उन्हें अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जाती है क्योंकि ऐसे क्षेत्रों को 10 % की वरीयता (वेटेज) प्रदान किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025-26 में जल जीवन मिशन के तहत 67,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गयी है। इस राशि में से, राज्यों द्वारा जल गुणवत्ता निगरानी और सर्वेक्षण के लिए 2% तक की राशि का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे स्वयं अपनी आवश्यकतानुसार, आवंटित राशि के आधार पर उपयुक्त परियोजनाओं को तैयार करें और उन्हें कार्यान्वित करें।

*****

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Neeraj*ji*, first supplementary.

श्री नीरज शेखरः महोदय, मैं सबसे पहले जल शक्ति मंत्रालय को बधाई देना चाहूंगा। 'जल जीवन मिशन' से हर घर जल पहुंचने का जो काम मंत्रालय कर रहा है, उसके लिए मैं विशेषकर माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 70 साल बाद किसी व्यक्ति ने इस देश में पीने के स्वच्छ पानी के लिए काम किया, तो वह काम हो रहा है। लेकिन आज भी समस्याएं बहुत सारी हैं। विशेष कर आर्सेनिक की जो समस्या है, उससे मेरा जिला बलिया पीड़ित है। न केवल बलिया, बल्कि बिहार और बंगाल भी पानी में आर्सेनिक की समस्या से पीड़ित हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भूजल गुणवत्ता निगरानी के लिए वर्तमान में कौन सा बुनियादी ढांचा उपलब्ध है और इसे सुधारने के लिए पिछले कुछ वर्षों में क्या उपाय किए गए हैं?

श्री सी. आर. पाटिलः माननीय उपसभापति महोदय, अभी जो प्रश्न पूछा गया है, मैं उसका डिटेल में जवाब देना चाहता हूँ। अभी 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत किसी भी घर में आर्सेनिक युक्त वाटर नहीं दिया जाता है। पूरे देश को इससे मुक्त किया गया है। जहाँ पर ग्राउंडवाटर में आर्सेनिक मिलता है, वहाँ पर नल से जल को प्रधानता देते हुए इस योजना के तहत उसके घर में पानी पहुँचाया जाता है। अगर इसके लिए ज्यादा भी खर्च करना पड़ता है, तो हम 10 परसेंट ज्यादा खर्च करके भी उसको पानी देते हैं। अगर दूर से भी पानी लाना पड़ता है, तो वह लाकर उसे दिया जाता है। इसके साथ ही उसकी क्वालिटी को maintain करने के लिए या उसके ऊपर नजर रखने के लिए भी 2 परसेंट एक्स्ट्रा खर्च का प्रावधान है ताकि किसी के भी शरीर में आर्सेनिक युक्त पानी नहीं जाए। 2019 में करीब 16.8 परसेंट ग्रामीण घरों में ही नल से पानी दिया जाता था। 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत अभी करीब 80 परसेंट से भी ज्यादा घरों में नल से पानी दिया जा रहा है। WHO की रिपोर्ट यह कहती है कि इसके कारण बहुत फायदा हुआ है। इससे करीब 4 लाख लोगों को मौत से बचाया गया है। यूनिसेफ यह कहती है कि इसके कारण लोगों को जो दवाई लेनी पड़ती थी, इंजेक्शन लगाना पड़ता था, जो मानव शरीर के लिए वर्जित है, ऐसी दवाई भी उसके शरीर में जाती थी और उसके कारण लोगों के जो पैसे खर्च होते थे, वह सरकार को छोड़कर करीब 8.4 लाख करोड़ रुपए का खर्च होता था, तो लोगों के वे पैसे भी बचे हैं।

अभी-अभी हमने महिला दिवस मनाया है। अगर महिलाओं के बारे में कहा जाए, तो महिलाएँ रोज पानी लाने के लिए दूर तक जाती थीं और वहाँ से पानी उठा कर लाती थीं, उसमें उनके रोज के करीब 5.5 करोड़ घंटे लगते थे, आज उनको उससे मुक्ति मिली है और ये रोज के 5.5 करोड़ घंटे महिलाएँ अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, आर्थिक उपार्जन में खर्च कर पा रही हैं। इस प्रकार से इसके माध्यम से महिलाओं के लिए भी काम हुआ है, बच्चों की जान भी बचाई गई है तथा पैसे भी बचे हैं। अभी लोगों को अपने घरों तक अच्छी क्वालिटी का पानी उपलब्ध है।

घरों में किस क्वालिटी का पानी आ रहा है, उसकी जाँच करने के लिए भी हर गांव में करीब पांच महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है और इसके साथ ही उनको किट भी दिया गया है। इस देश में इस काम के लिए करीब 25 लाख महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। पूरे विश्व में भारत एक

ऐसा देश होगा, जहाँ उसके गांव में, उसके घर में आने वाला पानी किस क्वालिटी का है, वह पीने लायक है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। यह भी मोदी जी के समय में ही हो पाया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Second supplementary, Neeraj*ji*.

श्री नीरज शेखरः महोदय, बलिया की आर्सेनिक समस्या को खत्म करने के लिए 3.5 हजार करोड़ रुपया दिया गया है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत वर्तमान कवरेज की स्थिति क्या है और यह देश की आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों को कवर करने में कितना प्रभावी रहा है?

श्री सी. आर. पाटिलः महोदय, मैंने अभी इस संबंध में बहुत डिटेल में जवाब दिया है कि यह बताया है कि अभी किसी घर में आर्सेनिक युक्त पानी नहीं जा रहा है। उसके लिए जो ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है और उसके लिए कितनी महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है - यह मैंने आपको बताया है। आर्सेनिक युक्त वाटर किसी के शरीर में न जाए, इसके लिए अभी तक करीब 10,500 मानक अपनाए गए हैं। 2019 में आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की संख्या 14,000 से भी ज्यादा थी और आज वह सिर्फ 314 बची हैं। हमने इसमें बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल किया है और आर्सेनिक के दुष्प्रभाव से लोगों को बचाया है। शेष जो प्रभावित बस्तियाँ हैं, वहाँ भी सुरक्षित जल की आपूर्ति की गई है। सिर्फ आर्सेनिक से ही नहीं, बल्कि फ्लोराइड से प्रभावित बस्तियाँ भी थीं। 2019 में फ्लोराइड से प्रभावित बस्तियों की संख्या करीब 8 हजार थी, उनमें अभी सिर्फ 295 बस्तियाँ बची हैं। इस तरह से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों के लिए इतना बड़ा काम हुआ है और आज किसी को भी आर्सेनिक या फ्लोराइड युक्त पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

श्री उपसभापतिः माननीय श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक जी।

SHRI MUKUL BALKRISHNA WASNIK: Sir, I have a very pointed question. According to Annual Groundwater Quality Report, 2024, a large number of districts are affected by contaminants. For example, Fluoride affects 263 districts, Nitrate affects 443 districts, Arsenic affects 118 districts, Iron effects 356 and Uranium affects 132 districts. NCRB के मुताबिक Air Prevention and Control of Pollution Act, 1981 and Water Act, 1974 में कई सारे मामले दर्ज किए गए हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इन सभी मामलों में से कितने मामलों में लोगों को सजा हुई, कितने प्रलंबित हुए और कितने acquit हुए? सर, मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि ये तमाम कानून, जो प्रदूषण से हमें बचा सकते हैं, इनका प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए सरकार क्या पहल करेगी?

श्री सी. आर. पाटिलः सर, यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः माननीय सुखेंदु शेखर रॉय। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेशः सर, यह क्या जवाब है?

श्री उपसभापतिः अगर आप जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो उसका प्रोसेस आप जानते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेशः सर, यह कौन तय करेंगे? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः मुकुल वासनिक जी बड़े वरिष्ठ हैं, वे भी प्रोसेस जानते हैं। अगर आप किसी भी जवाब से असंतुष्ट हैं, तो उसके लिए प्रोसेस है। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़।

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Mr. Deputy Chairman, Sir, as per the Asian Development Bank's 2018 Report, West Bengal had the largest arsenic-affected population and areas in the country. Now, after the establishment of the National Institute for Water and Sanitation in Kolkata, what effective measures has the Government of India taken to combat the most affected areas, particularly given the unscientific sharing of Ganga water with a neighbouring country, which severely affects the districts of Malda, Murshidabad, Nadia, North and South 24 Parganas? This is my pointed question to the Honourable Minister.

श्री सी. आर. पाटिलः माननीय उपसभापति जी, मैंने कोलकाता के साथ-साथ पूरे देश के बारे में बताया कि 2019 में जो 14,000 से ज्यादा आर्सेनिक प्रभावित बस्तियां थीं और 8,000 से ज्यादा फ्लोराइड प्रभावित बस्तियां थीं, उनमें से अब केवल 314 आर्सेनिक प्रभावित बस्तियां ही बची हैं और सिर्फ 295 फ्लोराइड प्रभावित बस्तियां ही बची हैं। आर्सेनिक प्रदूषण के समाधान के लिए हमने करीब 17,000 जगहों पर चेक करने हेतु स्टेशंस बनाए हैं। इसी तरह, हमने वैकल्पिक स्रोत और जांच के लिए भी व्यवस्था की है। हम जानते हैं कि आर्सेनिक जल भूमि से आता है, इसलिए उसको रोकने के लिए इस चीज के ऊपर भी काम किया जा रहा है कि जो भी कुएँ बनाए जाएं, वे सीमेंट की सीलिंग से बनाये जाएँ। अगर यह करने में विलंब होता है, तो उनको आर्सेनिक मुक्त पानी सीधा मिले, इसके लिए भी हमने काम किया है।

सर, पहले गंगा की जो स्थिति थी, उसके बारे में मैं नहीं कहूंगा, मगर आज उसका जल पेयजल हो गया है। उसके अंदर जो प्रदूषण था, उसमें बहुत कमी आई है। उसके अंदर इतने सालों में जो काम हुआ है, वह आज तक कभी नहीं हुआ था। अलग-अलग स्टेट्स के ऐसे कई शहर, जिनमें से ज्यादा प्रदूषण आने की संभावना होती है, उसको भी एसटीपी के द्वारा क्लीन करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहां जो पीने का पानी दिया जाता है, वह एसटीपी में टेस्ट करने और प्रोसेस करने के बाद ही उनको दिया जाता है।

श्री संजय कुमार झाः माननीय उपसभापति महोदय, बहुत सारे अध्ययनों से यह पता चला है कि आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन अब फूड चेन में भी आ गया है। जैसे, चावल, गेहूं और आलू, इन सबमें कॉन्टेमिनेशन है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि चावल, गेहूं और आलू में आर्सेनिक स्तर की नियमित रूप से जांच करने के लिए क्या कोई निगरानी प्रणाली लागू की जा रही है? दूसरा, व्यापक आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन को देखते हुए खाद्य आपूर्ति में आगे कॉन्टेमिनेशन को रोकने के लिए आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन इरिगेशन वाटर सोर्स विद सेफर अल्टरनेटिव से बदलने के लिए विभाग कोई उपाय कर रहा है या नहीं कर रहा है?

श्री सी. आर. पाटिलः माननीय उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने कहा कि अलग-अलग खाद्य पदार्थों, जैसे - आलू, गेहूं आदि में भी आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन पाया जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा "जल जीवन मिशन" के अंतर्गत पानी के सोर्स की जांच करते हुए पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है। फिर, हर जगह पर बाकी का जो जल है, जो मिट्टी में से आता है, नदी में से आता है, उसको रोकने के लिए हमारी व्यवस्था नहीं है, मगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसके ऊपर भी काम करता होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। "जल जीवन मिशन" के अंतर्गत पीने का पानी शुद्ध मिले, उसके अंदर आर्सेनिक या फ्लोराइड न हो, उसके लिए हमारी पूरी व्यवस्था है। जो बस्तियां बची हैं, वहां भी हम नल से जल देते हैं। इसलिए वहां किसी के शरीर में आर्सेनिक का, फ्लोराइड का contamination नहीं जाता है।

श्री उपसभापतिः प्रश्न संख्या 109 ।